तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज नेमाराम बनाम कानाराम वगैरह मुकदमा नम्बर 47/2020	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुआ
8.03.2024	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में माननीय न्यायालय के समक्ष वाद संख्या 62/2015 बअनुवान नेमाराम बनाम मंगलाराम विचाराधीन रहा है जिसमें दिनांक 22.08.2016 को एकपक्षीय डिक्री पारित की गई जिसकी अपील संख्या 90/2021 माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर के यहां प्रस्तुत की जिसपर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर द्वारा निर्णय दिनांक 06.07.2021 में अपील स्वीकार करते हुए इस न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.08.2016 को निरस्त कर आदेश दिनांक 22.08.2016 से पूर्व की स्थिति बहाल की गई है तथा श्रीमान के न्यायालय में प्रार्थी नेमाराम की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र बाबत करने सीमाज्ञान व पत्थरगढी एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि के संबंध में एकतरफा अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त की है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है जिसके विरोध में अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि का प्रार्थी अकेला खातेदार कृषक है जिसमें अप्रार्थीगण का कोई हक हिस्सा अधिकार नहीं है। उभयपक्षकारान के निवेदन करने पर पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर के निर्णय दिनांक 06.07.2021 एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 29.09.2022 का अवलोकन किया गया न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर के निर्णय दिनांक 06.07.2021 के द्वारा इस न्यायालय के वादसंख्या 62/2015 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.08.2016 को अपास्त किया जाकर दिनांक 22.08.2016 से पूर्व की स्थिति को बहाल किये जाने आदेश पारित किये गये है तथा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर के निर्णय दिनांक 06.07.2021 के विरूद्ध माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के यहां प्रस्तुत निगरानी संख्या 3120/2021 में पारित निर्णय दिनांक 29.09.2022 में निगरानी कर्ता प्रार्थी नेमाराम की निगरानी को खारिज करते हुए न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर के निर्णय दिनांक 06.07.2021 को यथावत रखा गया है तथा प्रार्थी की ओर से यह हस्तगत प्रार्थना पत्र बाबत करने सीमाज्ञान व पत्थरगढी हेतु प्रस्तुत किया है तथा अपने प्रार्थना पत्र के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो पूर्ववर्ति वाद संख्या 62/2015 में वर्णित आराजी को लेकर ही प्रस्तुत किया गया है। तथा माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय दिनांक 06.07.2021 की पालना में प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि की इस न्यायालय के वाद संख्या 62/2015 में पारित निर्णय से पूर्व की स्थिति बहाल होने के आदेश माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर के यहां से पारित है उक्त हस्तगत प्रार्थना पत्र में वर्णित वादग्रस्त भूमि के संबंध में पूर्ववृति वाद संख्या 62/2015 विचाराधीन है जिसमें उभयपक्षकारान की सुनवाई निरंतर है ऐसी स्थिति में प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र बाबत करने सीमाज्ञान व पत्थरगढी कानूनन रूप से चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल ... से कम हो व दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना-कुचामन) Signature Not Verified Digitally signed by Vishwamitra Meena Date: 2024.09.15 15:13:28 IST Reason: SelfAttested	

Scanned with OKEN Scanner